रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 986] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2006/भाद्र 13, 1928
No. 986] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2006/BHADRA 13, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2006

का.आ. 1402(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 4 सितम्बर, 2006 उस तारीख के रूप में नियत करती है जिमको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6(4)/2005-पी.टी.]

सुधीर मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2006

S.O. 1402(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2006 (39 of 2006), the Central Government hereby appoints the 4th day of September, 2006 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 6(4)/2005-PT]

SUDHIR MITAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2006

का.आ. 1403(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन उक्त अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे जो राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी, अर्थात् :—

1.	पर्यावरण और वन मंत्रालय का भारसाधक मंत्री	–	अध्यक्ष
2.	पर्यावरण और वन मंत्रालय का राज्यमंत्री मंत्री	–	उपाध्यक्ष
3. से 10.	रिक्त	–	सदस्य
11.	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय	–	सदस्य
12.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय	–	सदस्य
13.	सचिव, जनजाति मामले मंत्रालय	–	सदस्य
14.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	–	सदस्य
15.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	–	सदस्य
16.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	–	सदस्य
17.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	–	सदस्य
18.	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय	–	सदस्य
19.	मुख्य वन्य जीव वार्डन, अरूणाचल प्रदेश	–	सदस्य
20.	मुख्य वन्य जीव वार्डन, मध्य प्रदेश	–	सदस्य
21.	मुख्य वन्य जीव वार्डन, उड़ीसा	–	सदस्य
22.	मुख्य वन्य जीव वार्डन, राजस्थान	–	सदस्य
23.	मुख्य वन्य जीव वार्डन, तमिलनाडु	–	सदस्य
24.	मुख्य वन्य जीव वार्डन, उत्तरांचल	–	सदस्य
25.	रिक्त	–	सदस्य
26.	वन्य महानिरीक्षक (व्याघ्र परियोजना) पर्यावरण और वन मंत्रालय	–	सदस्य-सचिव

2. व्याघ्र परियोजना निदेशालय के अधीन व्याघ्र परियोजना का भारसाधक वन्य महानिरीक्षक, सदस्य सचिव होगा और इस अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त पद को सतत् रूप से धारण करता रहेगा जब तक कि वह उक्त अधिनियम की धारा 38ढ़ की उप-धारा (1) के परंतुक के निबंधनों के अधीन अन्यथा विकल्प नहीं देता है।

[फा. सं. 6(4)/2005-पी.टी.]

सुधीर मित्तल, संयुक्त सचिव